न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 15 / 2024

गुरनाम सिंह पुत्र श्री चनन सिंह, जाति कम्बोज सिख, उम्र 80 वर्ष निवासी 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र जीत सिंह, जाति कम्बोज सिख, निवासी 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र जीत सिंह, जाति कम्बोज सिख, निवासी 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा	– –	प्रार्थी
2. श्री ऋषिपाल जोशी	– –	अप्रार्थी 1 व 2
3. पैरोकार राज	– –	अप्रार्थी 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.07.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी चक 11, जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सेदार काश्तकार है। प्रार्थी के नाम से चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 16 पुराना 15 के मुरब्बा नं. 05 व मुरब्बा नं. 16 में कुल 3.8860 हैक्0 कृषि भूमि नहरी मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज है। जमाबन्दी की नकल शामिल है, जो कि वर्तमान मै प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। कालान्तर में चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 05 में 1.581 हैक्0 नहरी व मुरब्बा नं. 16 में 6.323 हैक्0 नहरी व खाला प्रार्थी के पिता स्व० चनन सिंह पुत्र भान सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास 28–10–2003 को हो गया। प्रार्थी के पिता चनन सिंह पुत्र भान सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा [illegible] भूमि चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 05 व मुरब्बा नं. [illegible] कुल [illegible]03 हैक्0 नहरी मय खाला की बन्द वसीयत अपने दोनो पुत्रो गुरनाम सिंह पुत्र [illegible] सिंह पुत्र चनन सिंह के नाम से जिला पंजीयक श्रीगंगानगर [illegible] रखवाया गया था, जो [illegible] 27–11–2004 को बन्द वसीयत खोली गई। वसीयत [illegible] आधार पर इन्तकाल नं. 154 [illegible] 15–03–2005 को प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में किया गया, जो कि निम्न प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

(क) गुरनाम सिंह पुत्र चनन सिंह के नाम से मु0नं0 16 के किला नं० 1 ता 3 में 0.759 हैक्0, 8 ता 12 में 1.265 हैक्0, 13 में 0.127 हैक्0, 19 में 0. 222 हैक्0, 20 में 0.253 हैक्0, 21 में 0.253 हैक्0, 22 में 0.222 हैक कुल 3.099 नहरी मय खाला मु0नं0 5 के किला नं० 1 में 0.094 हैक्०, किला नं0 2 में 0.094 हैक्0, किला नं0 3 में 0.094 हैक्0, किला नं0 4 में 0.094 हैक्0, किला नं0 5 में 0.094 हैक्0, किला नं0 6 में 0.063 हैक्०, किला नं० 7 में 0.063 हैक्0, किला नं0 8 में 0.063 हैक्0, किला नं0 9 में 0.063 हैक, किला नं0 10 में 0.063 हैक्0 कुल 0.790 हैक्0 नहरी मय खाला

(ख). जीत सिंह पुत्र चनन सिंह के नाम से मु0नं0 16 के किला नं0 4 ता 7 में 1.012 हैक्0, 13 में 0.126 हैक्0, 14 ता 18 में 1.265 हैक्0, 23 ता 25 में 0.759 हैक्0, 22 में 0.031 हैक्0, 19 में 0.031 हैक्0, कुल 3.224 नहरी मय खाला, मु0नं0 5 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 0.159 हैक्0 कुल 0.795 हैक्0 का इंतकाल दर्ज वसीयत किया गया है। वसीयत व इंतकाल की कॉपीयां साथ संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

प्रार्थी के पिता ने अपनी वसीयत में स्पष्ट अंकन किया है कि मुरब्बा नं. 16 का किला नं. 22, 23, 24, 25 में 10 फुट रकबा आने जाने के लिए दोनो भाईयो यानि कि गुरनाम सिंह व जीत सिंह के सुरक्षित होगा, जिससे किसी पक्षकार को आपत्ति नही होगी। इस रकबा की एवज में मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 19 व 22 की पूर्व कि तरफ 21 फुट लगभग ढाई–ढाई बिस्वा रकबा दोनो किलो में कुल 5 बिस्वा रकबा जीत सिंह को दे रहा है। मगर रास्ता का रकबा इंतकाल में वसीयत अनुसार दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी के भाई जीत सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 11 जैड का देहान्त हो चुका है। अब जीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 गुरजन्ट सिंह व अप्रार्थी संख्या 2 नरेन्द्रपाल सिंह के नाम चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर से इन्तकाल दर्ज किया गया, जो इस प्रकार से है गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के नाम खाता संख्या 91 चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर मुरब्बा नं. 5 का किला नं. 1/3 में 0.147 हैक्0, 2/4 में 0.146 हैक्0, किला नं. 03/03 में 0.0735 हैक्0 एवम मुरब्बा नं. 16 का किला नं. 4/1 में 0.2280 हैक्0, 4/2 में 0.0250 हैक्0, 7 में 0.253 हैक्0, किला नं. 13/2 में 0.126 हैक्0, 14 में 0.253 हैक्0, 17/1 का 0.0532 हैक्0, 18 का 0.253 हैक्0, 19/1 में 0.0310 हैक्0, 22/2 में 0.0310 हैक, किला नं. 23 में 0.253 हैक्0 किला नं. 24/1 में 0.0532 हैक्0 कुल 1.9259 हैक्0 एवं नरेन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 92 के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 3/4 में 0.0735 हैक्0, किला नं. 4/4 में 0.146 हैक्0, किला नं. 5/3 में 0.147 हैक्0 एवं मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 5/2 में 0.025 हैक्0, 5/4 में 0.208 हैक्0, किला नं0 6/2 में 0.231 हैक्0, 15/2 में 0.231 हैक्0, 16/2 में 0.231 हैक्0, 17/2 में 0.199 हैक्0, 24/2 में 0.1998 हैक्0, किला नं0 25/2 में 0.231 हैक् कुल 1.9258 हैक्0 भूमि रवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के खाता संख्या 16 के मु0नं0 16 के रकबा हैक्0 के लिए रास्ता मु0नं0 16 के किला नं0 22, 23, 24, 25 में 10–10 फुट दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ मौके पर आज भी रास्ता चालू है। आंशिक नक्शा पटवारी रास्ता का शामिल है इसी रास्ता से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर रहा है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । रास्ता की एवज में प्रार्थी के [illegible] सिंह ने अपने पुत्र जीत सिंह को मु0नं0 16 के किला नं0 22 व 19 से रकबा दे रहा [illegible] जिस[illegible] उल्लेख वसीयत में कर रहा है। यह कि अब अप्रार्थीयान राजस्व रिकार्ड का [illegible] उपरोक्त रास्ता को बंद करने के प्रयास में है और अपनी [illegible] कृषि भूमि [illegible] की फिराक में है और अन्य दिन दलालो के माध्यम से कृषि भूमि को दिखा रहे है। [illegible] प्रार्थी के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है जिससे राजस्व रिकार्ड में भी मु0नं0 16 के किला नं० 22 में 10 गुणा 21 फुट दक्षिण दिशा की ओर एवं किला नं0 23, 24 व 25 की दक्षिण दिशा की साईड में प्रचलित रास्ता 10–10 फुट दर्ज हो सके तथा भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:32:06 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

किसी प्रकार से किसी मुआवजा का प्रश्न नही रह जाता। प्रार्थी के पिता चनन सिंह ने अपनी स्वेच्छा से ही रास्ता छोड़ा था । अतः किसी मुआवजा का प्रार्थी से लेना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 जो कि लैण्ड होल्डर है, को पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत है व उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के रकबा चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 16 के मु0नं0 16 के लिए अप्रार्थीगण के रकबा चक 11 जैड के खाता संख्या 91 के मु0नं0 16 के किला नं0 22 में 10 गुणा 21 फुट दक्षिण दिशा की ओर एवं किला नं० 23, 24 व 25 की दक्षिण दिशा की साईड में प्रचलित रास्ता 10–10 फुट को स्वीकृत करने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी के नाम से चक 11 जैड के खाता स० 16/15 के मु0न0 5 व 16 में 3.886 हेकटर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना स्वीकार है परन्तु इस जमाबंदी में इस भूमि पर उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर के प्रकरण स० 14/2024 दिनांक 25.1.24 के आदेश से कृषि भूमि को रहन बैय एवं अंतरित न करे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति का नोट लगा हुआ है। चनन सिंह द्वारा मु0न0 5 व 16 की भूमि की वसीयत दोनो पुत्रो गुरनाम सिंह व जीत सिंह के पक्ष में किया जाना स्वीकार है तथा इसके आधार पर इंतकाल स० 154 दर्ज होना भी स्वीकार है। प्रार्थी वसीयत के आधार पर आया है वसीयत के आधार पर धारा 251 ए राज0का0 अधि0 के तहत रास्ता मंजूर नही किया जा सकता है वसीयत के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज हो चुका है जिसे आज तक प्रार्थी ने चुनौती नही दी है इसप्रकार प्रार्थी ने अपने अधिकारो का परित्याग कर दिया है। मिनअप्रार्थीगण के पिता जीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा जीत सिंह के नाम की भूमि मिनअप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। मौके पर मु0न0 16 के किला न0 22, 23, 24, 25 में 10–10 फुट में कोई रास्ता नही चल रहा है प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है इसलिए प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नही है प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है शेष कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है । मौके पर रास्ता चालू नही है इसलिए रास्ता बंद करने का सवाल ही पैदा नही होता है शेष मद गलत होने के कारण अस्वीकार है धारा 251 ए राज0का0अधि० का प्रार्थनापत्र वसीयत के आधार पर प्रस्तुत नही किया जा सकता है वसीयत के आधार पर केवल घोषणा का वाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है । अन्य आपत्तियां– प्रार्थी वसीयत के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जबकि वसीयत के आधार पर धारा 251 राज0का0 अधि0 के तहत रास्ता मंजूर नही किया जा सकता है धारा 251 ए की प्रक्रिया के तहत ही रास्ता मंजूर किया जा सकता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे। वसीयत के आधार पर केवल घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है चूंकि वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज हो चुका है जिसे आज तक प्रार्थी ने चुनौती नही दी है इसप्रकार प्रार्थी ने अपने अधिकारो का परित्याग कर दिया है। प्रार्थी अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है इसप्रकार प्रार्थी के पास वैकल्पिक ... उपलब्ध है प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग मु०न० 16 के किला न0 22 में 10 गुणा 21 फुट ... किला न0 23, 24, 25 की दक्षिण दिशा की साईड 10–10 फुट ... मार्ग है इसलिए रास्ता मंजूर नही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण रास्ता मंजूर करने का विरोध करते है तथा किसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकार किया जाता है जो कि अप्रार्थी स० 1 व 2 को स्वीकार नही है तो विकल्प के रूप में रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थी स० 1 व 2 का चिपती भूमि दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kumar
Date: 2024.09.11 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जानी आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 251 ए राज0का0 अधि० को सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि वसीयत 19.08.1999 के द्वारा प्रार्थी के स्वर्गीय पिता चनन सिंह द्वारा प्रार्थी के खाता संख्या 16 के मु0नं0 16 के रकबा है0 के लिए रास्ता मु0नं0 16 के किला नं0 22, 23, 24, 25 में 10–10 फुट दक्षिण दिशा की ओर खुलता हुआ मौके पर आज भी रास्ता चालू है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि वसीयत के आधार पर पहले ही इन्तकाल किया जा चुका है। वसीयत के आधार पर अब रास्ता स्वीकृत किये जाने की अपील नहीं की जा सकती और ना ही वसीयत के आधार पर 251ए में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। यदि रास्ते की घोषणा करवानी है जो धारा 88 आर.टी.ए. में दावा पेश करे और जमीन का मुआवजा अप्रार्थीगण को दे। जवाब बहस में वकील प्रार्थी द्वारा कथन किए गये कि वसीयत की कॉपी पत्रावली में संलग्न है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जमीन अप्रार्थीगण को पहले ही दी जा चुकी है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्त. अधि. में वैकल्पिक रास्ते के अभाव एवं रास्ते की आतयन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते का अभाव है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट कमांक 547 दिनांक 02.04.2024 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास उसके खेत में जाने हेतु रास्ते का अभाव है। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार करना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर तहसीदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक 547 दिनांक 02.04.2024 में संलग्न आंशिक नक्शा में अंकितानुसार प्रस्तावित रास्ता चक 11 जैड के खाता संख्या 91/25 के मु0नं0 16 के किला नं0 22, 23, 24, 25 में 10–10 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवम् राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर स्वीकृत रास्ते के मुआवजा फलस्वरूप प्रार्थी से डी.एल. सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 08.07.2024 को लिखवा[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:32:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(जीतू कुल्हरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर